



# निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

Phone:-05946-297051, Fax-05946-297050 Email-directorssocialwelfare @gmail.com Website-www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्रांक- 2341/स.क./छात्रवृत्ति पोर्टल/2025-26

दिनांक 17 अक्टूबर, 2025

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्नवत छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन प्राप्ति की तिथि को 30-नवंबर-2025 तक विस्तारित किया गया है।

योजना का नाम	वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अन्य अर्हता (अधिकतम रु. लाख में)	दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र (बचमाक दिव्यांगता)
दिव्यांग प्री-मेट्रिक (कक्षा 1-8)	आय सीमा 24.000 प्रति वर्ष	दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र (बचमाक दिव्यांगता)
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्री-मेट्रिक (कक्षा 1-8)	कोई आय सीमा नहीं	-
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्री-मेट्रिक (कक्षा 9-10)	रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष	-
अन्य पिछड़ा वर्ग / ईबीसी (निर्धन सामान्य वर्ग) प्री-मेट्रिक (कक्षा 9-10)	रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष	केवल शासकीय विद्यालयों के छात्रों हेतु
अनु० जाति/अनु० जनजाति/ओबीसी एवं ईबीसी वर्ग हेतु दशोत्तर छात्रवृत्ति	रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष	शैक्षणिक संस्थान एवं कोर्स हेतु आवश्यक मान्यता प्रमाण-पत्र एवं संबद्धता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट NSP URL : <https://scholarships.gov.in> पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- छात्रवृत्ति हेतु छात्र के पास वैध मो०न० (आधार से लिंक), आधार नं० (यूआईडी), आय प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, शुल्क रसीद तथा जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आधार सीडेड बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- योजना की अधिक जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट <https://socialwelfare.uk.gov.in/> या <https://socialjustice.gov.in/schemes/23> व लैंडलाइन नं० 0135-2669764, टोल फ्री नं० 18001804236 अथवा मोबाइल नं० 6395221188 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन करें।



निदेशक  
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।